महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय

चक सकीतरा, कुम्हेर, भरतपुर-321201
Email – affiliation_btp@msbrijuniversity.ac.in, Website–www.msbrijuniversity.ac.in

क्रमांक :– प.3(26)मसूबृवि / सम्बद्धता / 2024 / 3114 दिनांक : 22 / 11 / 2024

अधिसूचना

सचिव / प्राचार्य,
श्री गंगा शरण महिला महाविद्यालय,
भरतपुर।

विषय :– महाविद्यालय की सम्बद्धता / सम्बद्धता अभिवृद्धि निरस्त करने बाबत्।

सन्दर्भः– 1. पत्रांक प.3.26)मसूबृवि / सम्बद्धता / 2024 / 323 दिनांक 06.09.2024
2. विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को प्रेषित कारण बताओ नोटिस क्रमांक 295 दिनांक 21.08.2024
3. महाविद्यालय को प्रेषित कमीपूर्ति पत्र 1342 दिनांक 02.08.2024
4. महाविद्यालय को प्रेषित कमीपूर्ति पत्र 904 दिनांक 11.07.2024
5. आपको प्रेषित किया गया पत्रांक 1342 दिनांक 02.08.2024

महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर, राजस्थान की ओर से संबद्धता हेतु तय प्रावधानों और संबद्धता को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक नियमों और विनियमों के अनुसार आपको अधिसूचित किया जाता है जिसमें निम्नानुसार प्रावधान सम्मिलित हैं :–

- महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 की धारा 12(1)
- महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय (कॉलेजों की संबद्धता) विनियम, 2015 का विनियम 3(2)
- महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय विनियम, 2016 का विनियम 17(1)

विश्वविद्यालय निरीक्षण दल द्वारा सत्र 2023–24 की सम्बद्धता अभिवृद्धि हेतु दिनांक 21.12.2023 को निरीक्षण एवं दिनांक 19.09.2024 को कराया गया औचक निरीक्षण में पाया है कि आपका महाविद्यालय निम्नलिखित तथ्य एवं कमियां पायी गयी हैः

1. आपके महाविद्यालय को खिरणी घाट, ठण्डी सडक, भरतपुर में कॉलेज संचालन हेतु आयुक्तालय द्वारा NOC जारी की गई है, आपका महाविद्यालय उस भवन में निरीक्षण के समय चलते हुए नहीं पाया गया तथा निरीक्षण दल द्वारा आपसे सम्पर्क करने पर आपके द्वारा निरीक्षण दल को बुलाकर सुभाष नगर, भरतपुर स्थित अन्यत्र स्थान पर किसी भवन का निरीक्षण कराया। जिस भवन के लिए NOC जारी की गयी उसमें राजस्थान सरकार का भू–प्रबंधन का कार्यालय चलता हुआ पाया गया। यह गतिविधि धोखाधड़ी की श्रेणी में आती है।
2. आपके द्वारा अन्यत्र महाविद्यालय संचालन हेतु विश्वविद्यालय एवं आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को इस सम्बन्ध में सूचित भी नहीं किया गया न ही इस हेतु पूर्व अनुमति ली गई।
3. आपके द्वारा महाविद्यालय में नियुक्त किए गए प्राचार्य का अनुमोदन विश्वविद्यालय से आदिनांक तक नहीं कराया गया है।
4. आपके द्वारा महाविद्यालय में नियुक्त किए गए शैक्षणिक स्टाफ का अनुमोदन विश्वविद्यालय से आदिनांक तक अद्यतन नहीं कराया गया है तथा निरीक्षण के दौरान उपलब्ध कराई गई सूची एवं प्रस्तुत कार्मिकों में भिन्नता पायी गयी।

5. महाविद्यालय में प्रायोगिक विषयों की प्रयोगशालाओं सम्बन्धित उपकरण, रसायन भी नहीं मिले न ही महाविद्यालय में प्रयोगशाला सहायक उपस्थित मिले।
6. पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या पर्याप्त नहीं मिली तथा एक्सेसन रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं कराया गया।
7. इसके अतिरिक्त यह भी संज्ञान में आया है कि डॉ. राकेश कुमार इस महाविद्यालय में सचिव रहते हुए एक अन्य कॉलेज श्री एस.एन. पी.जी. महाविद्यालय के प्राचार्य भी हैं जो कि नियम अनुरूप नहीं है।
8. कतिपय पत्र प्रेषित किये जाने के बावजूद आपके द्वारा सम्बद्धता शुल्क पर दी जाने वाली GST की राशि विगत सम्बद्धता सत्रों 2018–19 से आदिनांक तक जमा नहीं की गई है।
9. आपके द्वारा विद्यार्थियों के अकादमिक हितों व भविष्य की परवाह न करते हुए एवं बिना कमियों की पूर्ति कर विद्यार्थियों के प्रवेश किए गए हैं।
10. आपके द्वारा दिनांक 21.12.2023 को प्रस्तुत शपथ पत्र में शपथ बयान किया गया कि निरीक्षण दल द्वारा पाई गईं समस्त कमियों की आक्षेपपूर्ति तीन माह की अवधि में कर दी जाएगी परन्तु सत्र समाप्ति उपरान्त भी कमियों की पूर्ति नहीं की गई है।
11. तदुपरान्त भी आपके महाविद्यालय की छात्राओं को डॉ. राकेश कुमार द्वारा दिग्भ्रमित कर 02 बार विश्वविद्यालय परिसर के मुख्यद्वार पर धरना प्रदर्शन कर जबरन तालाबंदी करा राजकार्य में व्यवधान डाला गया जो कि कदाचार की श्रेणी में आता है।
12. बाद में दिनांक 19.09.2024 को विश्वविद्यालय के संज्ञान में आया कि अब यह महाविद्यालय विना किसी सूचना के अन्यत्र तीसरे स्थान जो कि मडरपुर रोड़ भरतपुर पर निर्माणाधीन है। नवीन भवन निर्माणाधीन पाया गया। साथ ही वहां कोई भी विद्यार्थी एवं शिक्षक अन्य स्टाफ उपस्थित नहीं पाया गया। ऐसी परिस्थिति में अवज्ञान हुआ है कि यह संस्था मात्र दस्तावेजों में ही संचालित है तथा भौतिक प्रमाणन में इसका कोई अस्तित्व संचालन अवस्था में नहीं है।

उपर्युक्त बिंदुवार तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री गंगाशरण महाविद्यालय विश्वविद्यालय के आवश्यक सम्बद्धता मापदण्डों की पूर्ति करने में आरम्भ से ही विफल रहा है। बार–बार अनुस्मारक और चेतावनियों के बावजूद, आपके संस्थान ने इन कमियों को दूर करने के लिए पर्याप्त सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है। परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय के पास संबद्धता निरस्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

विनिर्दिष्ट समय सीमा के अंदर जवाब न देने या असंतोषजनक प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप आपके महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों की अनुपालना में महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 और अन्य प्रासंगिक कानूनों के प्रावधानों के तहत आपके महाविद्यालय की सत्र 2023–24 की सम्बद्धता/सम्बद्धता अभिवृद्धि निरस्त की जाती है। साथ ही माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार इस महाविद्यालय के आदिनांक तक प्रवेशित व सूचीबद्ध समस्त विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर का अंगीकृत विद्यार्थी घोषित किया जाता है। इन विद्यार्थियों के भरतपुर शहर से विश्वविद्यालय परिसर आवागमन एवं अध्ययन का प्रबन्ध विश्वविद्यालय द्वारा कराया जावेंगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

कुलसचिव

कुल सचिव
महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय
भरतपुर (राज.)

दिनांक : 22 / 08 / 2024

क्रमांक : प.3.(26) / मसूबृवि / सम्बद्धता / 2024 / 3114

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
2. श्रीमान प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, जयपुर।
3. श्रीमान सचिव, माननीय राज्यपाल राजभवन, जयपुर।
4. श्रीमान आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
5. श्रीमान स्थायी परामर्शदाता, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर, माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर
6. रक्षित पत्रावली।

कुलसचिव

कुल सचिव
महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय
भरतपुर (राज.)